



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 18.10.2026

थाना हथगांव पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार; 19.030 किलोग्राम अवैध गांजा, कूटरचित एचएसआरपी नम्बर प्लेट एवं तस्करी में प्रयुक्त महिन्द्रा टीयूवी वाहन बरामद ।

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी थरियांव के मार्गदर्शन में थाना हथगांव पुलिस द्वारा निम्न कार्रवाई की गई।

संक्षिप्त विवरण- थाना हथगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.10.2026 को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम अमिलिहापाल से ग्राम चक आराजीपाल की ओर जाने वाले मोड़ पर महिन्द्रा टीयूवी वाहन को रोकने का संकेत दिया गया। चालक द्वारा भागने का प्रयास करने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन रोक लिया तथा उसमें सवार तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जिनके नाम क्रमशः 1. अनिरुद्ध यादव उर्फ पंकज पुत्र रतीराम, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम चरिया पतारा, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर, 2. अनुभव तिवारी पुत्र स्व० भैयालाल तिवारी, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम लोमर, थाना चिल्ला, जनपद बांदा, 3. अनूप कुमार द्विवेदी पुत्र स्व० जय प्रकाश द्विवेदी, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम बिसन्डी, थाना असोथर, जनपद फतेहपुर है, वाहन की तलाशी लेने पर पिछले हिस्से में मैट के नीचे रखी बोरी से अवैध गांजे के 10 पैकेट तथा आगे की बायीं सीट के पायदान के नीचे से कूटरचित एचएसआरपी नम्बर प्लेट मिली। जाँच में उक्त नम्बर प्लेट का पंजीयन नम्बर ओडिशा में पंजीकृत एक मोटरसाइकिल का पाया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हथगांव पर मु०अस०-207/2026 धारा 319(2)/318(2)/338/336(3)/340(2)/111(4)/3(5) बीएनएस एवं 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा०न्यायालय भेजा गया ।

पूछताछ का विवरण— गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ ओडिशा से गांजा लाकर फतेहपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करते हैं और प्राप्त धनराशि आपस में बाँट लेते हैं। उनके अनुसार, दिनांक 16.10.2026 को लाए गए गांजे में से कुछ गांजा आज बांदा में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। तस्करी के दौरान अलग-अलग वाहनों में मोबाइल फोन से सम्पर्क कर रास्ते की स्थिति की जानकारी ली जाती थी। पूछताछ में अन्य साथियों की गांजे की खरीद हेतु धन उपलब्ध कराने, परिवहन एवं भंडारण में भूमिका भी बताई गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. अनिरुद्ध यादव उर्फ पंकज पुत्र रतीराम, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम चरिया पतारा, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर।
2. अनुभव तिवारी पुत्र स्व० भैयालाल तिवारी, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम लोमर, थाना चिल्ला, जनपद बांदा।
3. अनूप कुमार द्विवेदी पुत्र स्व० जय प्रकाश द्विवेदी, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम बिसन्डी, थाना असोथर, जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त अनिरुद्ध यादव उर्फ पंकज का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं०-315/2023 धारा 379/382/411/420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खागा जनपद फतेहपुर
2. मु०अस०-207/2026 धारा 319(2)/318(2)/338/336(3)/340(2)/111(4)/3(5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर

2. अभियुक्त अनुभव तिवारी का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-120/2021 धारा 279/304ए/338/427 भादवि थाना ललौली
2. मु०अ०सं०-140/2023 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
3. मु०अ०सं०-221/2025 धारा-115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर
4. मु०अस०-207/2026 धारा 319(2)/318(2)/338/336(3)/340(2)/111(4)/3(5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर

3. अभियुक्त अनूप कुमार द्विवेदी का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अस०-207/2026 धारा 319(2)/318(2)/338/336(3)/340(2)/111(4)/3(5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर

बरामदगी—

1. 19.030 किलोग्राम अवैध गांजा, कुल 10 पैकेट।
2. 01 महिन्द्रा टीयूवी वाहन, संख्या UP90V1974।
3. 01 कूटरचित एचएसआरपी नम्बर प्लेट, संख्या OD15G6354।
4. 02 मोबाइल फोन एवं 720 रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम—

1. उ०नि० उत्कर्ष मिश्रा, चौकी प्रभारी छिवलहा, थाना हथगाँव
2. उ०नि० अखिलेश यादव
3. मुख्य आरक्षी दीपक कुमार, 4. आरक्षी पवन यादव
5. शिवम उपाध्याय, 6. रवि कुमार, 7. सियम मौर्य।